



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैर इरादतन हत्या के 03 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 73/2013 धारा- 323,324,308,504 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.विष्णु सिंह पुत्र मंगल सिंह 2.बृजेन्द्र पुत्र मंगल सिंह 3.मंगल सिंह पुत्र जगजीत सिंह निवासीगण ग्राम भुलसी थाना सिसोलर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
एसओ विष्णु
कुमार मिश्रा



पैरोकार- थाना सिसोलर
हे0का0 राघवेन्द्र